

पत्र क्रमांक : JDA/DC/ZONE-07/Demand/July/26/15

दिनांक : 10.07.2026

मैसर्स श्री सालासर डवलपर्स जरिये प्रोपराईटर श्री चैनाराम सुपुत्र श्री लालाराम
पता -36, विनायक एन्क्लेव, दिप विहार, गोकुलपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर, राजस्थान।

विषय :-खसरा नम्बर 399/2, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

- उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या खसरा नम्बर 399/2, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।
- मेरे द्वारा प्रचलित भवन विनियम एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन मानचित्र तैयार किये गये है। प्रस्तुत भवन मानचित्रों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

भूखण्ड एवं स्वामित्व/लेखा का विवरण:-		
1.	भूखण्ड का विवरण	खसरा नम्बर 399/2, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	997.47 वर्ग मीटर
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	12.00 मीटर
4.	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति-90ए/90बी तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	
5.	पुनर्गठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/एकल पट्टों से पुनर्गठित	पट्टा दिनांक 27.06.2026
6.	परियोजना-समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेन्ट/व्यावसायिक/होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो	NA
7.	आवेदन का नाम	मैसर्स श्री सालासर डवलपर्स
8.	लीजडीड/पट्टे की प्रति, नाम हस्तान्तरण आदेश, निकाय द्वारा जारी साईट प्लान की प्रति	संलग्न
9.	भवन अनुज्ञेय हेतु निर्धारित राशि जमा निकाय में जमा कराने की चालान की प्रति	संलग्न
10.	निर्माण अवधि की दिनांक	10.07.2026

भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2025 अनुसार:-				
11.	विनियम 2025 के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र/प्रभावित हैं अथवा नहीं			हां
12.	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं			नहीं
13.	तकनीकी विश्लेषण	जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार/भवन विनियम अनुसार	आवेदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार	नियमानुसार है अथवा नहीं
1.	सैटबैक			
	सामने- I	3.00	3.05	
	पार्श्व- I	4.50	4.50	
	पार्श्व- I I	4.50	4.50	
	पीछे	4.50	4.50	
2.	अधिकतम आच्छादन	Within Setbacks	Within Setbacks	
3.	अधिकतम ऊँचाई	बेसमेन्ट+स्टील्ट + 15.00 मीटर	बेसमेन्ट + स्टील्ट + 15.00 मीटर	
4.	कुल तलों की संख्या एवं उनका क्षेत्रफल			
	(i) बेसमेन्ट	307.01 व.मी.	301.2 व.मी.	
	(ii) स्टील्ट	494.49 व.मी.	4.09 व.मी.	
	(iii) भू-तल मंजिल	677.36 व.मी.	626.76 व.मी.	
	(iv) प्रथम मंजिल	677.36 व.मी.	626.76 व.मी.	
	(iv) द्वितीय मंजिल	677.36 व.मी.	626.76 व.मी.	
	(v) तृतीय मंजिल	677.36 व.मी.	626.76 व.मी.	
	(vi) चौथी मंजिल	83.10 व.मी.	0.0 व.मी.	
	(vii) मम्टी व प्राइवेट टेरेस			
		4271.4 व.मी.	3439.09 व.मी.	
5.	स्कल निर्मित क्षेत्रफल	As Per Bye Laws	4271.4 व.मी.	
6.	बी.ए.आर.	1994.94 वर्ग मीटर (2.00)	3439.09 वर्ग मीटर (3.44)	
7.	पार्किंग	33 कार 03 स्कुटर	33 कार 03 स्कुटर	
8.	ग्रीन एरिया	12.00% (119.69 व. मी.)	12.00% (119.69 व. मी.)	
9.	व्यावसायिक (रिटेल)	NA		
10.	सार्वजनिक सुविधायें	Community Hall	Community Hall	

11.	पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	As Per Norms	As Per Norms	
12.	सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।	Yes	प्रस्तावित	
13.	आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	Yes	प्रस्तावित	
14.	E.V Charging Facility	Yes	04 कार	
15.	पार्किंग के प्रावधानों की पालना	As Per Bye Laws	Yes	
16.	पार्किंग सर्कुलेशन प्लान	As Per Bye Laws	Shown in the Approval plans	
17.	विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप-पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प/शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	As Per Bye Laws	प्रस्तावित	
18.	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/पलैट्स की संख्या			NA
19.	बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड			NA
20.	भवन विनिमय के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति			NA
21.	लेबर सेस	निर्माण लागत की कुल 1 प्रतिशत राशि	संलग्न	स्वीकृति हेतु आवश्यक न्यूनतम राशि जो कि मांगपत्र का 15% है प्रवर्तक द्वारा जमा करवा दी गई है। शेष राशि परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व जमा करवाई जाएगी।
22.	अग्निशमन शुल्क	रु 50/-X4271.4 वर्ग मीटर	213570	
23.	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू एस./एल.आई.जी हेतु प्रावधान/एवज में राशि	1444.15x2600 3754790/-	1444.15x2600 3754790/-	
24.	सौर ऊर्जा का प्रावधान	As Per Bye Laws	प्रस्तावित	
25.	अन्य	वर्षा जल संग्रहण	प्रस्तावित	

3. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर पालिका जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
4. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
5. यदि भवन विनियम के मानदण्डों एवं लीज डीड की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनते समय कोई तथ्य छुपाया गया है।
6. भवन मानचित्र अनुमोदन करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
7. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
8. आवेदन एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ-पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि रु 40,26,237/-को चालान संख्या 1041879 द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के आवासीय/कामर्शियल/औद्योगिक/संस्थानिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

(संख्या 04)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. उपायुक्त जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण

**Vijay
Sharma**

Digitally signed
by Vijay Sharma
Date: 2026.07.10
15:05:27 +05'30'

VIJAY SHARMA
CA/2011/52069
CTP RAJ/Architect/2021/37
पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर मय सील

**Vijay
Sharma**

Digitally signed
by Vijay Sharma
Date: 2026.07.10
15:05:27 +05'30'

VIJAY SHARMA
CA/2011/52069
CTP RAJ/Architect/2021/37
पंजीकृत वास्तुविद के हस्ताक्षर मय सील

—मांग पत्र:—

मैसर्स श्री सालासर डवलपर्स जरिये प्रोपराईटर श्री चैनाराम सुपुत्र श्री लालाराम
पता -36, विनायक एन्क्लेव, दिप विहार, गोकुलपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर, राजस्थान।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता को मेरे द्वारा दिनांक 10.07.2026 को भूखण्ड संख्या खसरा नम्बर 399/2, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 997.47 वर्गमीटर, हेतु आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रस्तावित भवन जिसकी कुल निर्मित क्षेत्रफल 4271.4 वर्गमीटर तथा उँचाई बेसमेन्ट + स्टील्ट + 15.00 मीटर है, के लिए की गयी शुल्क गणना संलग्नक (परिशिष्ट- अ) के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में कुल राशि रुपये 4026237/- का भुगतान कराते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता का जमा पर्ची मय इस बाबत शपथ-पत्र, कि यदि उक्त भवन/भूखण्ड के संबंध में नगरीय निकाय द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व अथवा पश्चात् भी किसी मद की अदेय राशि की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में निर्धारित समयावधि के दौरान जमा करादिया जावेगा और यदि मैं उक्त शपथ की अवहैलना करता हूँ/करती हूँ तो नगरीय निकाय उक्त भवन को सीज करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।

- पार्किंग/वर्षा जल संचयन/वृक्षारोपण/पर्यावरण अनापत्ति के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनिमय के अनुसार शपथ-पत्र /अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
- आप द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अग्निशमन शुल्क की राशि रुपये 213570/- फायर सेस हेतु संबंधित बैंक खाता संख्या 919010091350994 बैंक शाखा एक्सीस बैंक सी-स्कीम जयपुर में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
- लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविनि/सामन्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार जमा कराया जाकर रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

नोट:- भवन विनिमय, 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पात्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करनी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जावेगी।

उक्त मांग राशि स्थानीय निकाय में जमा करा कर सूचित करें ताकि भवन मानचित्र अनुमोदन/निर्माण जारी की जा सके।

भवदीय,

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
2. अग्निशमन अधिकारी संबंधित नगरीय निकाय।
2. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय संबंधित नगर।

भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत शुल्क की गणना					
भूखण्ड की स्थिति (भू-निर्देशांक, भूखण्ड संख्या, स्कीम का नाम/खसरा संख्या मय राजस्व ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र)		खसरा नम्बर 399/2, ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान (निजी खातेदारी)			
भूखण्ड का क्षेत्रफल		(997.47 वर्ग मीटर)			
भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन का प्रयोजन		आवासीय			
भूखण्ड पर प्रस्तावित ऊँचाई		बैसमेट + स्टिलट + 15 मीटर			
मानक बी.ए.आर.		2.0 (1994.94 वर्गमीटर)			
प्रस्तावित बी.ए.आर.		3.44 (3439.09 वर्गमीटर)			
आवासीय आरक्षित दर		13000			
क्रम संख्या	विभिन्न शुल्क मदों का विवरण	शुल्क गणना			
		मापांक की मात्रा (संख्या/क्षेत्रफल)	दर/प्रति इकाई (रुपयों में)	शुल्क गणना (रुपयों में)	विशेष विवरण
1.	प्रार्थना पत्र/आवेदन शुल्क (एक मुश्त निर्धारित)			200	
2.	मानचित्र जांच शुल्क (भूखण्ड का क्षेत्रफल पर)	997.47 वर्गमीटर	15	14962.05	14963
3.	अनुमोदन शुल्क I.आवासीय() II.व्यवसायिक III.संस्थानिक (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	4271.4	60	256284	
4.	शेल्टर फंड (बी. एस.यू.पी.) (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	NA	—	—	Building ht. Is not more than 15 M
5.	बैटरमेट लेवी (मानक बी. ए. आर. से अधिक प्रस्तावित बी. ए. आर. पर) आवासीय आरक्षित दर का 20 प्रतिशत	1444.15	2600	3754790	
6.	मलबा धरोहर राशि (भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुसार)	—	—	—	—
7.	वर्षा जल संग्रहण शुल्क (भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुसार)	NA	—	—	Project is liable to be registered with Rajasthan RERA
8.	EWS/LIG हेतु अतिरिक्त शेल्टर फण्ड	NA	—	—	—
9.	अतिरिक्त आवासीय इकाई शुल्क	NA	—	—	—
10.	अमानता राशी (पार्किंग) (राशी प्रति ई.सी. यू. पर)	NA	—	—	—
11.	मैकेनिकल पार्किंग (राशी प्रति कार पर)	NA	—	—	—
12.	बिना अनुमति निर्माण शास्ति (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	NA	—	—	—
13.	कुल योग				
14.	श्रमिक उपकर	1% of the construction cost		551724	
15.	अग्निशमन सुविधा हेतु देय शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	4271.4	50	213570	
जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा योग्य राशि		271447			
फायर सेस		213570			
लेबर सेस		551724			
बैटरमेट लेवी		3754790			



Jaipur Development Authority

Ram Kishor Vyas Bhawan, Indra Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004 Rajasthan

Challan/Demand Control No Status

Status : Payment Aknownledged (Confirmed From Bank Statement on 09/07/2026)

Challan No. : 1041879 **Control No. :** 642619000223 **Demand/Challan Date :** 09/07/2026

Payment Mode : EFT **Transaction ID :** HDFCR520260709811
71322

Settlement A/C No: 675401700500

ISURE ID:

Settlement Bank/Branch: ICICI Bank-JDA Campus,Jaipur

Invoice No :-

Depositor Details :-

Name : SHREE SALASAR DEVELOPERES PROPRIETOR CHENA RAM

Address : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER

Remark :

Plot Details :-

Service No :- 2796000052 **Plot No. :** K.NO-399/2 **Area :** 1000.00 SQ. METER

Owner Name : SHREE SALASAR DEVELOPERES PROPRIETOR CHENA RAM

**Father/Husband
Name :** LALA RAM

Address : JHUNKA KA BASS KHOOR SIKAR KHOOD SIKAR RAJASTHAN

Scheme Details :-

SchemeName : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER **Sector :**

Scheme Location : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER

Developer Type : Private **Developer Name :** NIJI KHATEDAR

Zone : ZONE-08

Deposit Amount :-

Sr. No.	Head	Amount(Rs.)
1	Map Release Fees	256284.00
2	Betterment Levi	3754790.00
3	Examination Fees	14963.00
4	Building Construction Application Fee	200.00
	Total :	4026237.00



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004



क्रमांक: F-JDA/ZONE-08/2026/1871

अभिस्वीकृति (Acknowledgement)

प्रारूप - र

**SHREE SALASAR DEVELOPERES PROPRIETOR Chena Ram S/o Lala Ram निवासी R/O
jhunka ka bass khood sikar KhooD Sikar Rajasthan 332023**

**विषय- आवेदित भूखण्ड संख्या K.NO-399/2 क्षेत्रफल 997.47 SQ. METER विकासकर्ता NIJI
KHATEDAR की योजना VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER**

संदर्भ- नागरिक सेवा केंद्र आवेदन संख्या 313762

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन से आप द्वारा विकासकर्ता Niji Khatedar की योजना VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER के भूखण्ड संख्या K.NO-399/2 क्षेत्रफल 997.47 SQ. METER के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज़ मय पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित मानचित्र कार्यालया में प्राप्त हुए | आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनियम - 2025 के विनियम संख्या 13.3 & 13.4 के तहत भूखंड पर निर्माण भवन विनियमों के अनुसार की किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदंडों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी भूखंडधारी की होगी |

Signature valid

Digitally signed by Taramita Vaishnava
Date: 2026.07.14 13:44:03
Designation : Deputy Commissioner, (Zone 08)
Location: Jaipur Development Authority Jaipur



Jaipur Development Authority

Ram Kishor Vyas Bhawan, Indra Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004 Rajasthan

Challan/Demand Control No Status

Status : Payment Aknownledged (Confirmed From Bank Statement on 09/07/2026)

Challan No. : 1041879 **Control No. :** 642619000223 **Demand/Challan Date :** 09/07/2026

Payment Mode : EFT **Transaction ID :** HDFCR520260709811
71322

Settlement A/C No: 675401700500

ISURE ID:

Settlement Bank/Branch: ICICI Bank-JDA Campus,Jaipur

Invoice No :-

Depositor Details :-

Name : SHREE SALASAR DEVELOPERES PROPRIETOR CHENA RAM

Address : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER

Remark :

Plot Details :-

Service No :- 2796000052 **Plot No. :** K.NO-399/2 **Area :** 1000.00 SQ. METER

Owner Name : SHREE SALASAR DEVELOPERES PROPRIETOR CHENA RAM

**Father/Husband
Name :** LALA RAM

Address : JHUNKA KA BASS KHOOR SIKAR KHOOD SIKAR RAJASTHAN

Scheme Details :-

SchemeName : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER **Sector :**

Scheme Location : VILLAGE MOHANPURA TEHSIL SANGANER

Developer Type : Private **Developer Name :** NIJI KHATEDAR

Zone : ZONE-08

Deposit Amount :-

Sr. No.	Head	Amount(Rs.)
1	Map Release Fees	256284.00
2	Betterment Levi	3754790.00
3	Examination Fees	14963.00
4	Building Construction Application Fee	200.00
	Total :	4026237.00

SHREE SALASAR DEVELOPERS

PLOT NO 90

GOVIND NAGAR VISTAR

JHOTWARA, JAIPUR, 302012

CIF No. : 21XXXXXX04

Email : --

Account No. : 0000014712013768

Second Holder Name : --

Product: CA GENERAL

Cleared Balance : 1,24,19,469.70Cr

Uncleared Amount : 0.00

IFSC code : HDFC0CTUCBL

Statement of Account From : : 09/07/2026 To : 09/07/2026

FINGROWTH CO-OP BANK LTD

Your Branch VAISHALI NAGAR

9-A GAUTAM MARG

Opp. Vaibhav Complex

JAIPUR, 302021,

Branch Code : 00012

Date : 09/07/2026

Time : 18:44:05

Limit : 0.00

Int. Rate : 0.00% p.a.

Drawing Power : 0.00

MICR Code : --

Post Date	Value Date	Narration	Cheque Details	Debit	Credit	Balance
09-07-2026	09-07-2026	By Transfer: IMPS/619015119678/WORLDFINE EPAYM/XXX3768/47a8f1d:TRF FR 0099508000011	-		1.00	17009364.20Cr
09-07-2026	09-07-2026	By Transfer: IMPS/619015150953/WORLDFINE EPAYM/XXX3768/47a8f1d:TRF FR 0099508000011	-		1.00	17009365.20Cr
09-07-2026	09-07-2026	REMT THRU CHQ:AT PAR CA CHQ: RTGS HDCT202607095000000039 SECRETAR ICIC0000103	028849	4026296.00		12983069.20Cr
09-07-2026	09-07-2026	REMT THRU CHQ:AT PAR CA CHQ: RTGS HDCT202607095000000040 DEPARTME UTIB0CCH274	028850	213599.50		12769469.70Cr
09-07-2026	09-07-2026	To Clearing:AT PAR CA CHQ:028847- INDI SPA:00028847	028847	50000.00		12719469.70Cr
09-07-2026	09-07-2026	To Clearing:AT PAR CA CHQ:028846- UTTAM CHAND RAISINGHANI: 00028846	028846	300000.00		12419469.70Cr

Open Bal

Dr count
4Cr count
2Debits
4589895.5Credits
2Clo Bal
12419469.70Cr



Government of Rajasthan
Finance Department
Revenue Management System



e-Challan

GRN No.: 126575728

Payment Date: 09/07/2026

Department: Labour Department, Jaipur

Service: Not Applicable

Office: Rajasthan Building and Other Construction Labour Welfare Board, Jaipur

Location: Jaipur (City)

Period: 09/07/2026 To 31/07/2026



Challan No.: 0

Budget Head Details		
S.No	Budget Head	Total Amount (₹)
1	0230-00-800-06-00-भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों के कल्याण हेतु उपकर (वेलफेयर सैस)	5,51,724.00
	Commission	0.00
	Total/Net Amount	5,51,724.00
In Words: Five Lakh Fifty One Thousand Seven Hundred Twenty Four Rupees Only		

Remitter Details	
Name: MS SHREE SALASAR DEVELOPERS	TIN/Actt./Vehicle No./Tax ID: Not Available
PAN No.: AWYPR1296D	City (Pincode): Not Available (302012)
Address: 36 VINAYAK ENCLAVE DEEP VIHAR GOKULPURA KALWAR ROAD JAIPUR	
Remarks: LABOUR CESS KH NO 399/2 VILLAGE MOHANPURA SANGANER JAIPUR	

Payment Details	
Bank Name: PNB GateWay(Credit/Debit Cards)	Mode of Payment: ONLINE
Bank CIN:PNBG12657572809072026	Payment Date: 09/07/2026 03:19:39 PM
Reference No.:CHX5770702	

Computer generated copy on: 09 July , 2026 03:21:08 PM

Courtesy: <https://ifms.rajasthan.gov.in>



सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

Town Planning Department

Office of the Chief Town Planner, J.L.N Marg, Opp. Birla Mandir,
Jaipur (302004), Rajasthan.

Certificate of Registration

(Under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area)
Building Regulations, 2020)

Registration No.- CTP Raj. /Architect/ 2021/37

I hereby certify that Mr./Mrs.**VIJAY...SHARMA**.....
is an Architect registered under Architect's Act, 1972 by the Council of
Architecture, New Delhi (CA/2011./52069) practicing and having
established office at...**C-234, GOKUL...PATH, VASANT NAGAR,.....**
JAIPUR, RAJASTHAN-302021.....
..... (Address) has been registered under
Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
He/she is authorised to approve building plans for all land use/s having plot
area upto 2500 sq.mt. (height up to 18.0 mt. in Large Towns & up to 15.0 mt. in
Small and medium Towns) and to issue Completion Certificate & Occupancy
Certificate for buildings constructed after following due process adhering to
regulations of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020.
This Registration No. CTP Raj. /Architect/ 2021/37 is issued under my
signature on date **19/08/2021** and is valid up to **18/08/2022**.



19/08/2021
(R. K. Vijayvargia)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

Government of Rajasthan

Office of the Chief Town Planner, Jaipur, Rajasthan



File No. TPR: 9354/Proj./E.O.I./Vijay Sharma / 88/6

Date: 2 SEP 2021

Ar. Vijay Sharma,
C-234, Gokul Path,
Vaishal Nagar Jaipur (Raj.)-302021.

Subject: - To Issue Certificate of Registration under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020.

Reference: - Your application received date 16.07.2021.

Dear,

In the reference of your above referred application, this department is pleased to issue a Certificate of Registration under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020.

You are registered with registration No. CTP Raj. /Architect/ 2021/37 and authorised to approve building plans for all land use/s having plot area upto 2500 sq.mt. (height up to 18.0 mt. in Large Towns & up to 15.0 mt. in Small and medium Towns) and to issue Completion Certificate & Occupancy Certificate for buildings constructed after following due process adhering to Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020. The Certificate of Registration along with list of annexures to perform following activities are enclosed herewith. Above required annexures may be downloaded from departmental website- https://urban.rajabasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ctp/pdf/Annexures%20_EOI.pdf.

This registration is valid upto 18/08/2022, which may be renewed after depositing of renewal amount as prescribed in Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020.

Enclosed: As above.


(R. K. Vijayvargia)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

**Government of Rajasthan
Office of the Chief Town Planner, Jaipur, Rajasthan**

File No. TPR: 9354/Proj./E.O.I./Vijay Sharma /

Date: 19.8.24

Ar. Vijay Sharma,
C-234, Gokul Path,
Vaishali Nagar Jaipur (Raj.)-302021.

Subject: - To Renew registration no. issued under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020.

Reference: - Your application received dated 13/08/2024.

Dear,

In reference to your application received dated 13/08/2024, for renewal of registration, issued vide CTP Raj. /Architect/ 2021/37 (valid till 18/08/2024) under Rule no. 20 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2020, it is to inform that your registration no. CTP, Raj. /Architect/ 2021/37 is hereby renewed and is valid till dated 18/08/2025 (Annexure-A of renewal chart enclosed).

Enclosed: As above.

(Sandeep Dandwate)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

Signature valid



Digitally signed by Sandeep
Dandwate
Designation : Chief Town Planner
Date: 2024.09.06 17:49:02 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Office of the Chief Town Planner, Jaipur, Rajasthan

File No. TPR: 9354/Proj./E.O.I./Vijay Sharma /

Date: 25/09/25

Ar. Vijay Sharma,
C-234, Gokul Path,
Vaishali Nagar Jaipur (Raj.)-302021.

Subject: - Renewal of registration of Architects as per Rule no. 16.3 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2025.

Reference: - Your application dated 14/08/2025 & 29/08/2025.

In reference to your application received dated 14/08/2025 & 29/08/2025, for renewal of registration no. CTP Raj. /Architect/ 2021/37 (valid till 18/08/2025), it is informed that your registration no. CTP, Raj. /Architect/ 2021/37 is hereby renewed and is valid till dated 18/08/2026 as per provisions of Guidelines issued as per Rule no. 16.3 of Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulation, 2025. (Annexure-A of renewal chart enclosed). All relevant provisions of Model Rajasthan (Urban Area) Building Byelaws, 2025 shall be adhered to. Also you will be bound to comply with any amendments made by State Government from time to time in the provisions of prevailing Building Regulations as well as Guidelines issued for registration of empanelled Architects.

Enclosed: As above.

(Vinay Kumar Dalela)
Chief Town Planner,
Rajasthan, Jaipur.

Signature valid



Digitally signed by Vinay Kumar Dalela
Designation: Chief Town Planner
Date: 2025.09.25 19:20:30 IST
Reason: Approved

R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\17681056_6648564991911391300.docx

Annexure-A

Name of Registered Architect:	Vijay Sharma	
CoA Registration no. :	CA/2011/52069	
Registration no. (issued by CTP, Raj.):	CTP Raj. /Architect/ 2021/37	
Renewal details as below:		
Signature & seal of authorised person for renewal of registration	Date of Renewal	Renewal Valid upto
संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजक 21/11/2022	19.08.2022	18.08.2023
संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजक	19.08.2023	31.12.2023
संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजक	01.01.2024	18.08.2024
संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजक	19.08.2024	18.08.2025
संदीप दंडवते मुख्य नगर नियोजक	19.08.2025	18.08.2026
(विनय कुमार दंडवते) मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर		

अनुमोदित

अनुमोदित

अनुमोदित

अनुमोदित

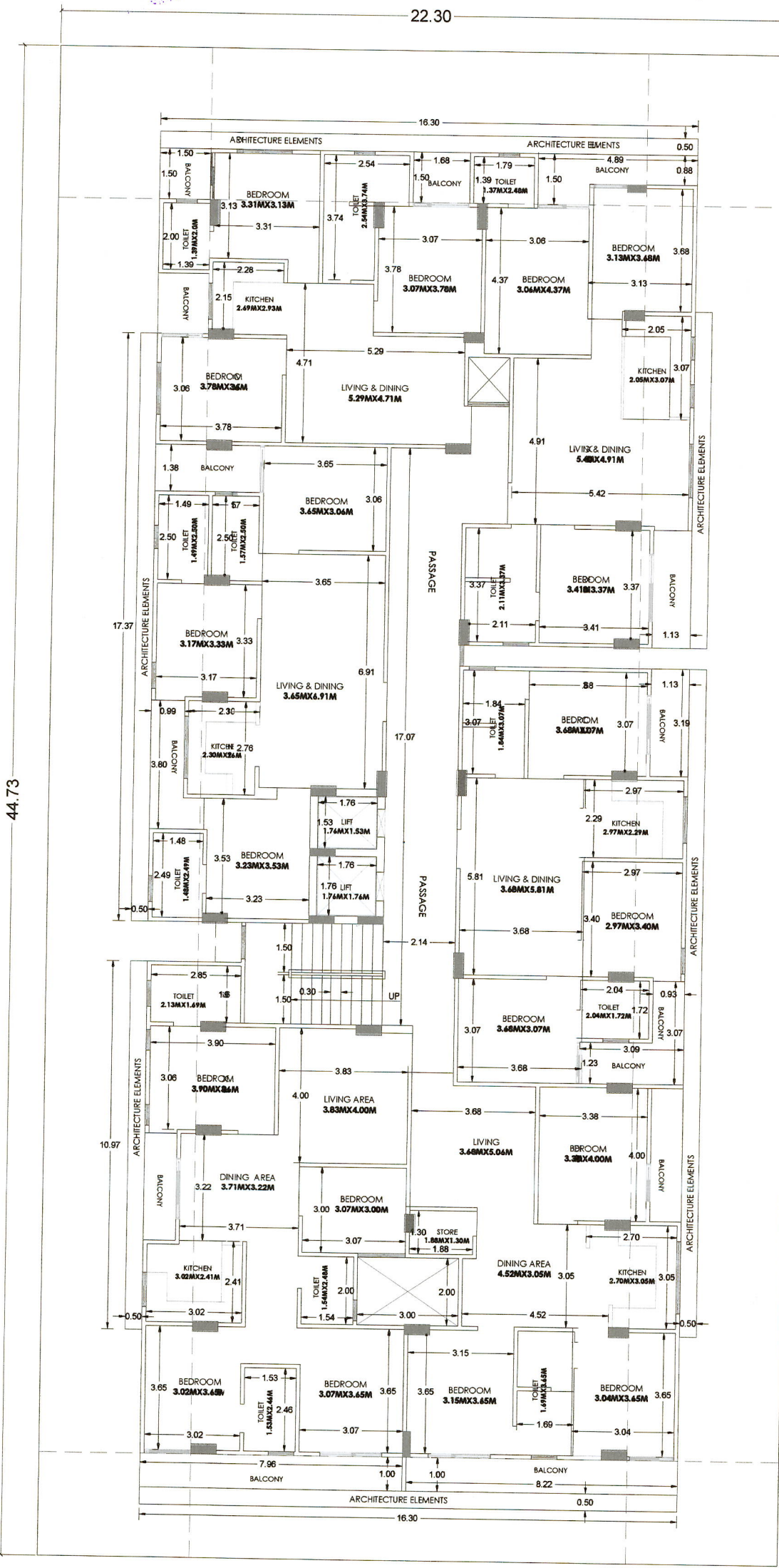
अनुमोदित

अनुमोदित

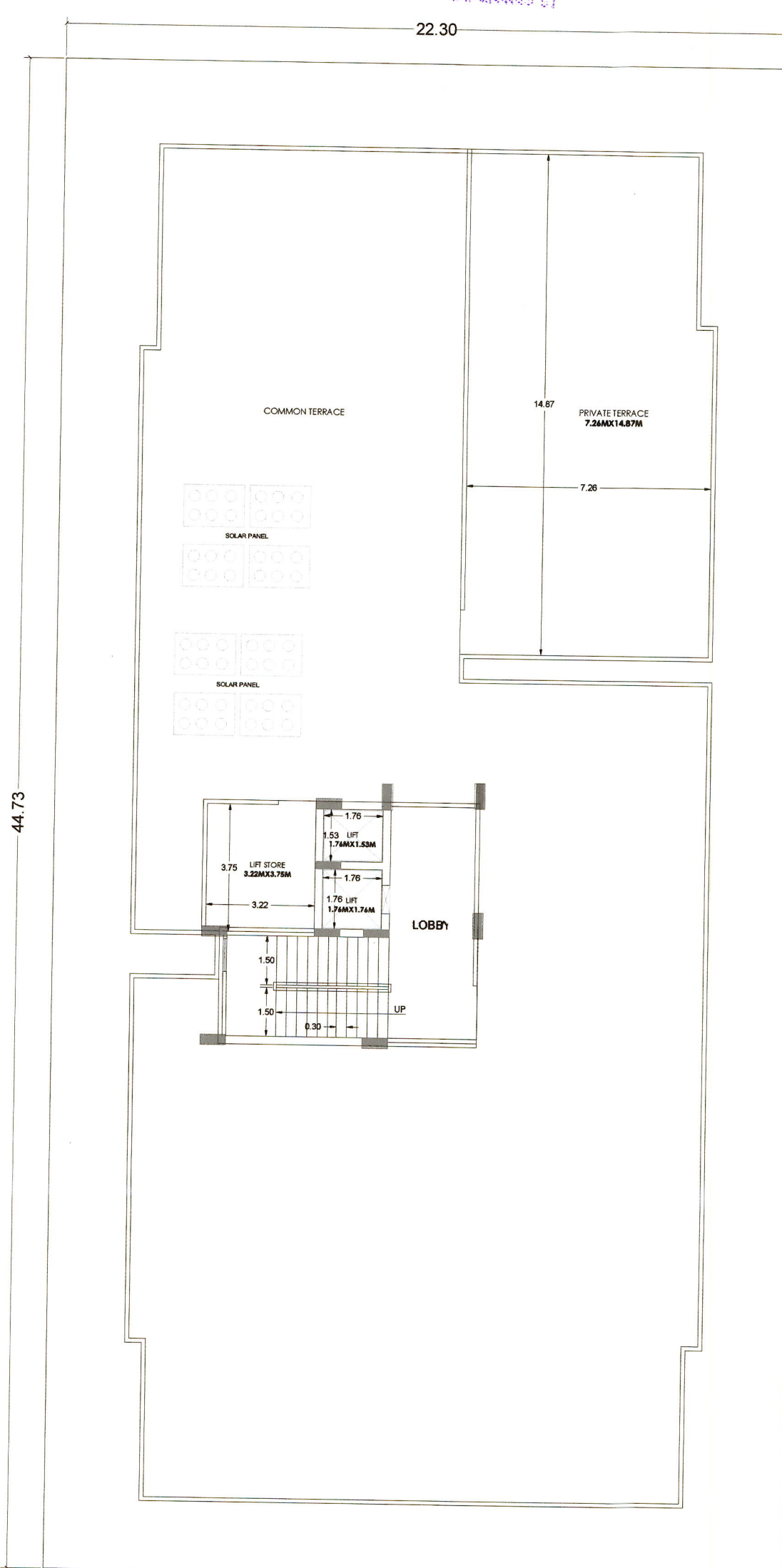
अनुमोदित

अनुमोदित

अनुमोदित



[GROUND TO 4TH.] TYPICAL FLOOR PLAN

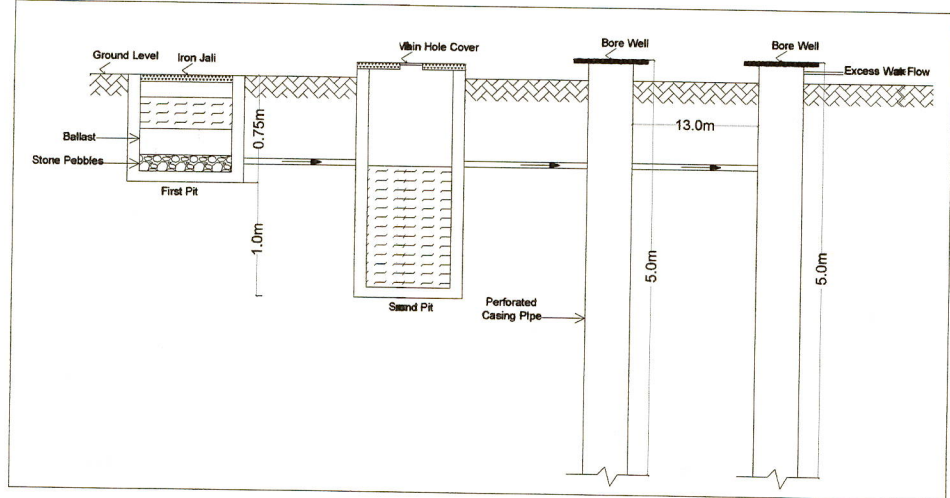


TERRACE FLOOR PLAN

AREA CALCULATION TABLE (IN SQ.MT.)			
S.NO.	REFERENCE:-		
1	TOTAL PLOT AREA = 997.47 SQ.MT		
2	STANDARD B.A.R. = 997.47 x 2.00 = 1994.94 SQ.MT		
3	PROPOSED B.A.R. = 3439.09 SQ.MT. (3.44 %)		
4	PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (3439.09) - (1994.94) = 1444.15 SQ.MT.		
5	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACKS		
6	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACKS		
7	REQUIRE LANDSCAPE 12% = 119.69 Sq.mt.		
8	PROPOSED LANDSCAPE = 100.01 Sq.mt. (10.07%)		
9	PERMISSIBLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = BASEMENT + STILT + 15.0 M.		
10	PROPOSED HEIGHT = BASEMENT + STILT + 15.0 M.		
11	SETBACKS AS PER BYLAWS		
12	FRONT 3.00		
13	SIDE 1 4.50		
14	SIDE 2 4.50		
15	REAR 4.50		
16	E.C.U. REQUIRED :-		
17	RESIDENCE = 3439.09 / 115 = 29.90		
18	10% VISITOR PARKING = 2.99		
19	29.90 + 2.99 = 32.89 ECU		
20	CAR = 25 , SCOOTER = 25		
21	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 33 , SCOOTER 3(32.89 ECU)		
22	CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR		
23	REQUIRED MINIMUM 2% OF PROPOSED B.A.R. OR 50 SQ.MT. (Whichever is Less)		
24	CLUB AREA PROPOSED ON STILT FLOOR = 51.24 SQ.MT.		
25	REQUIRED ELECTRIC VEHICLE CHARGING POINT = 04 (10% Of Total Require Ecu.)		
26	PROPOSED ELECTRIC VEHICLE CHARGING POINT = 04		

FLOOR WISE AREA TABLE (IN SQ.MT.)						
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	SHAFT	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R. CLUB
1	BASEMENT	307.01	-	-	-	301.2
2	STILT	494.49	-	-	5.81	4.09
3	GROUND	677.36	7.61	37.18	5.81	626.76
4	1st FLOOR	677.36	7.61	37.18	5.81	626.76
5	2nd FLOOR	677.36	7.61	37.18	5.81	626.76
6	3rd FLOOR	677.36	7.61	37.18	5.81	626.76
7	4th FLOOR	677.36	7.61	37.18	5.81	626.76
8	MUMTY / STAIR	83.10	-	-	-	-
9	TOTAL	4271.4	-	-	-	3439.09 51.24

अनुमोदित



Rain Water Pit Detail

SUBMISSION DRAWINGS

TITLE:-
SITE PLAN, FLOOR PLANS,
AREA CALCULATION

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL
BUILDING AT KHASRA NO.-399/2 AT
REVENUR-VILL.-MOHANPURA,
TEH.-SANGANER,JAIPUR

NORTH :



ARCHITECTS:-

VISTAAR ARCHITECTS & PLANNERS
Architect :: Interior Designers
B-2/12, Chitrkoti scheme, main Gandhi Path,
Opp mall of jaipur-21
PH.- 0141-6657358,09001010366

OWNER:-

For Shree Salasar Developers

proprietor

DATE - 10.07.2026

ARCHITECT:-

Vijay Sharma
VIJAY SHARMA
CA/2011/52069
CTP RAJ/Architect/2021/37

अनुमोदित

इस मानकियों का अनुपयोग किसी भी पर्यावरण प्रदूषक के जोत खोजने का प्रमाण नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के खोजने संबंधित अधिकारों में बाधा पड़ेगी। अनुपयोग किये गये मानकियों में बाधा पड़ने का संभावित नुकसान (Potential) का अधिक संयोजनक मानकियों के अनुपयोग का होगा।

500 वर्गमीटर से बड़े वायव्यधिक/संस्थागत भूखण्डों में वीकें पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति तथा प्रत्येक भवन निर्माणकर्ता Prominently display की व्यवस्था करने पर के प्रकाशनों से स्वीकृत भागधारित भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत वैश्विक मानचित्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की व्यवस्था सत्ता में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुमोदित

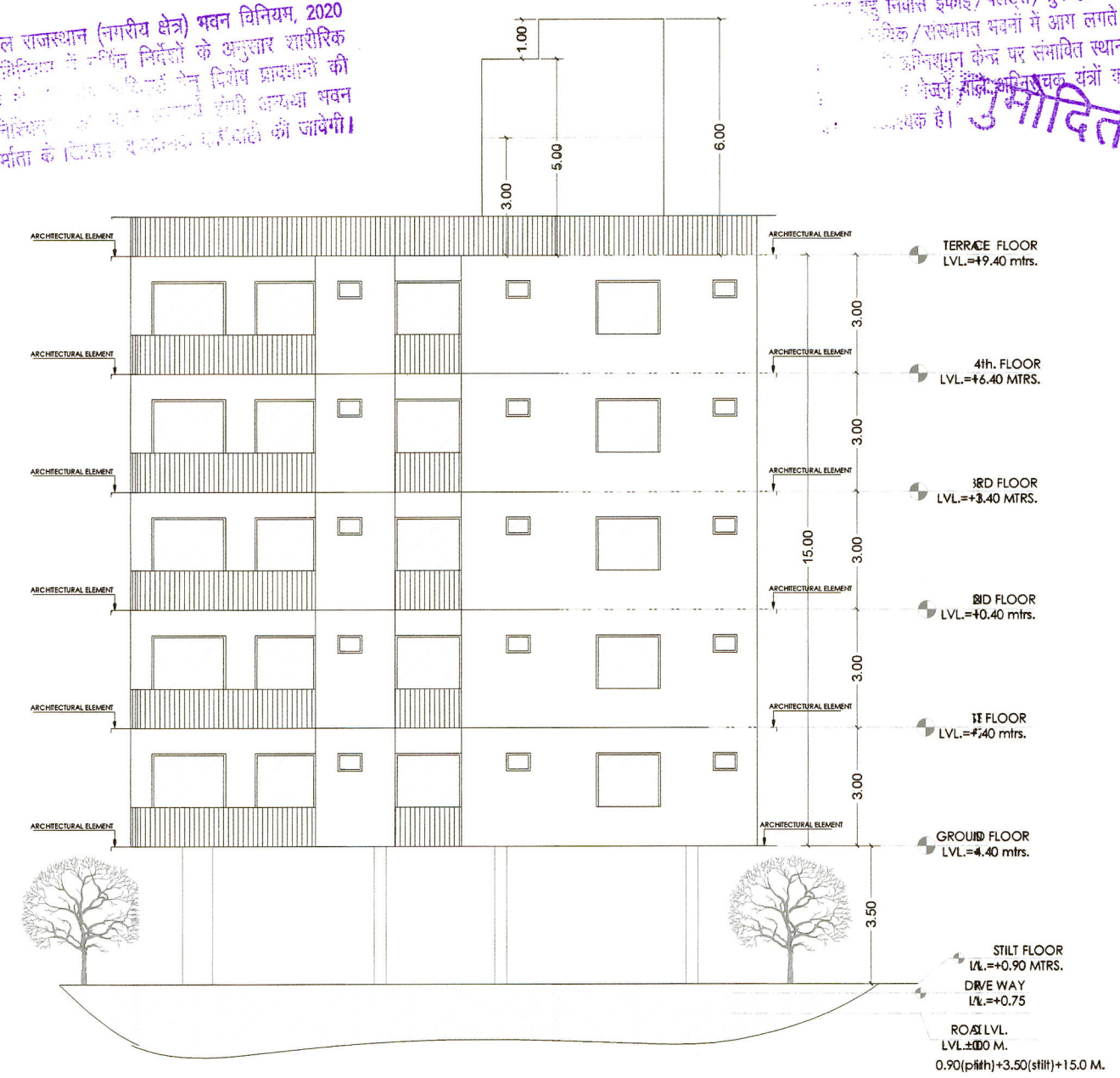
मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) मदन विनियम, 2020 के विनियम में उचित निर्माता के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को नगरीय प्रायश्चित्त की सुविधा के लिए प्रदान की जाती है। इसी कारण मदन निर्माता के निर्माण इकाई को निर्माता की जावेगी।

सबू निवात ईकाइ/फौदत/गुप हाकसिंग हाकनो
अधिक/रासगत मनाने मे आग लागते ही तलाक
मे इतिहासुन केन पर लगवित स्थान की स्वतः
मे केवरी गीत खतिनक यों को आवाय
अथक है। **उमिदित**

उन्मादित



SOUTH SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION

मन्त्रालय ने निम्नलिखित ईकाइयों/प्लेसमें ग्रुप हाइजिनिंग प्रणाली को अप्रत्याशित/असंभवता से बचाने में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा ही अतिरिक्त केन्द्र पर समीक्षा स्थान का निर्देश दिया है।
इसके अलावा भोजन वाले अतिरिक्त केन्द्रों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

मॉडल समाधान (नगरीय क्षेत्र) मदन की
के विनिर्माण के अन्तर्गत निर्देशों के अनुसार शरीरक
रूप से मजबूत व्यक्ति बनने के लिए विशेष प्रशिक्षणों की
सुविधियाँ दी जाती हैं। अन्तर्गत ही अन्यथा मदन
निर्माता के विनाशक कार्यान्वयन की जायेगी।

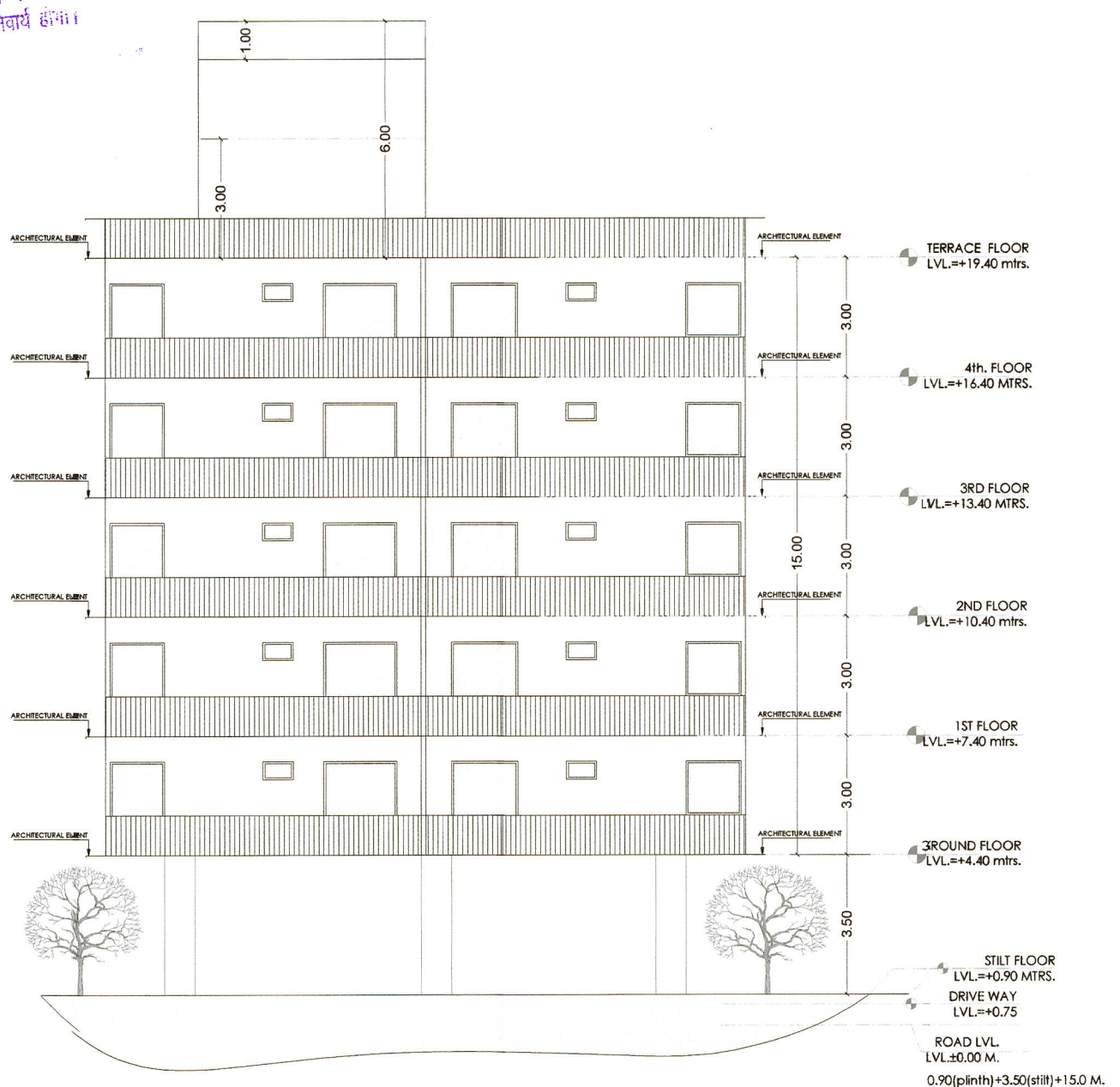
इस मशीन को का अङ्गरेजी किसी भी प्रकार की
मशीन से भी समान का नाम-पुस्तक में
जोड़कर देना है। इसी विधि के द्वारा किसी
मशीन का नाम का भी अङ्गरेजी में जो
मशीन से संबंध है, मान लिया कि सचमुचे
मशीन का यह नाम ही होगा।

अनुमोदित

500 वर्गमीटर से बड़े क्यारवाक/संस्थागत भूखण्डों में
कोई एक भाग निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की
प्रति आधा समय में प्रमुखता Prominence display
की उपयोगिता को प्रदर्शनों के स्वीकृत मानचित्र
के अंतराद्वारा निर्धारित हवाई स्थानीय विमानतटों के
पथों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की आवश्यकता
संगत है प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

अत्यन्त बहु निवास ईकोड/पलैट्स/ग्रुप हाऊसिंग प्रणाली के आवश्यक/सम्भाव्य भवनों में आम लक्ष्य है। इनके सम्बन्ध में अग्निशमन केन्द्र पर संभावित स्थान को ध्यान में रखते हुए सूचना भेजने वाले अग्निचूक यंत्रों को सम्बन्धित स्थान आवश्यक है।

अनुमोदित



EAST SIDE ELEVATION

अनुमोदित

500 वर्गफिट से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में
जैसे सराफा निवेशकों द्वारा स्वीकृत मानचित्र की
दो-तीसवां भाग के अतिरिक्त Primarily स्थित
संस्थागत भूखण्डों के अलावा दो-तीसवां से चौथा-तीसवां
भाग तक का निवेशकों द्वारा स्वीकृत अधिकतम
भाग में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की संभावना
संस्था में प्रभावित किया जाना अपेक्षाकृत होगा।

[illegible]

अनुमोदित

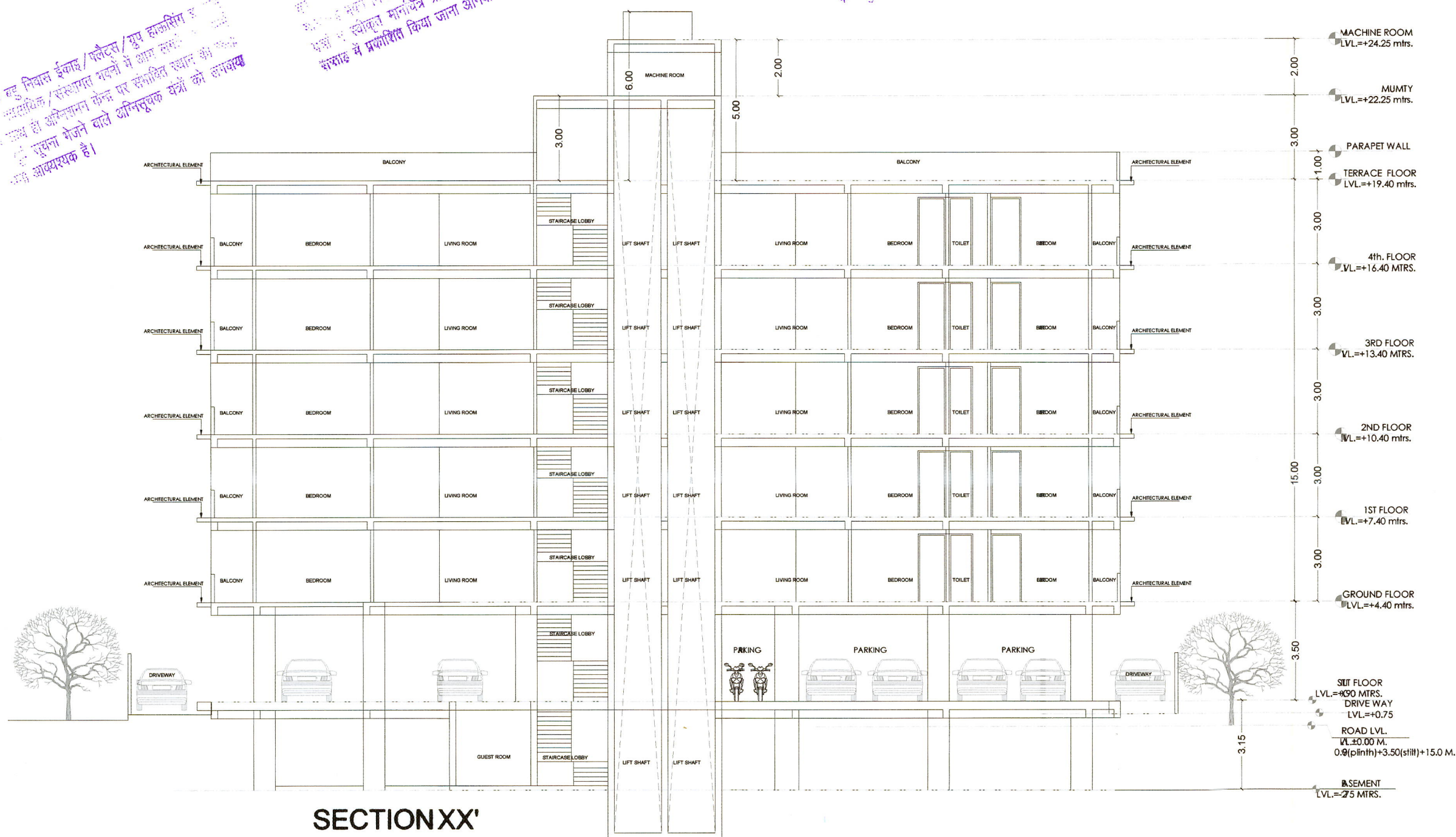
मॉडल राजस्वपत्र (समावेश्य क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में वर्णित निर्माता के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की जाती अन्यथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जांचों की जावेगी।

संगत बसु निपुण ईकाइ/फेलोइस/मुप हाजसिंग इमारतों
एक व्यवसायिक/समाजिक भवनों में आप संगत ही अलार्म
एक साथ ही अभिनेताओं केन्द्र पर संगठित स्थान की स्वतः
ही पूर्ण सुचना भेजने वाले अनिवार्यक यंत्रों को लगभग
जाना आवश्यक है।

आमतौर पर निम्नलिखित ईकाई/प्लेटफॉर्म/ग्रुप हाताक्षिप्त इनमें से हैं।
 1. आधुनिक/संस्थागत धर्मों में आम लोगों की भागीदारी
 2. आम लोगों की अभिरक्षा के लिए परामर्शदाता स्थानों का विकास
 3. आम लोगों के बीच आम धर्मों के अभिरक्षा के लिए आम धर्मों के विकास
 4. आम धर्मों के विकास के लिए आम धर्मों के विकास

अनुमोदित

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रसंगगत भूमि सुधार के प्रति स्वागत का प्रमाण—एक का जना जायेगा और यही हमारे किसी के स्वतंत्र अधिकृत अधिकारों का प्रमाणित होने। अनुमोदित जिसे भवे मानचित्रों में दर्शाये गये भूभाग निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व संरचनात्मक मानचित्रों के अनुशास प्रार्थी का होगा।



SECTION XX'

अनुमोदित

[illegible]

5000 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में विशेष रूप से भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति अलग-अलग को व्यवस्थित रूप से Prominently display की जायेगी। राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के स्वीकृत भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की संभावना का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

DATE - 10.07.2026

SUBMISSION DRAWINGS

TITLE:-

ELEVATION & SECTION

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL
BUILDING AT KHASRA NO.-399/2 AT
REVENUE VILL.-MOHANPURA,
TEH.-SANGANER, JAIPUR

NORTH :



ARCHITECTS:-

VISTAAR ARCHITECTS & PLANNERS
Architects :: Interior Designers
B-2/12, Chitrkoot scheme, main Gandhi Path,
Opp mall of jaipur-21
PH.- 0141-6657358, 09001010366

OWNER:

For Shree Salasar Developers

 proprietor

ARCHITECT:-

Vijay Sharma
Digitally signed by Vijay Sharma
Date: 2026.07.10 15:31:32 +05'30'
VIJAY SHARMA
CA/2011/52069
GTP RAJ/Architect/2021/37